

प्रश्न सं. [क. 598]

मध्य प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

भारतीय प्रश्न क्रमांक - 598

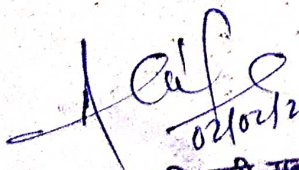
आदेश

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2010

कमाक-एफ-2(क)/39/2010/बी-3/दो : राज्य शासन द्वारा इस विभाग के पत्र क्रमांक 44/4428/94/बी-3/2 दिनांक 11.1.1995 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अगस्त, 2010 को निरस्त करते हुए नगरीय/अर्ध-शहरी थाने, नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये नवीन पुलिस थानों में विभिन्न प्रकार के संपादित होने वाले कार्यों के लिये आवश्यक बल की गणना के आधार हेतु निम्नानुसार न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं :-

क.	थाना	आने वाला क्षेत्र	न्यूनतम बल								अपराध	जनसंख्या
			पुं.	पुं.	पुं.	पुं.	पुं.	पुं.	पुं.	पुं.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	नगरीय थाना	नगर निगम/ नगर पालिका क्षेत्र एवं जिला मुख्यालय के थाना	1	8	10	13	40	1	2	75	300	50000
2	नगर पंचायत के थाने	नगर पंचायत क्षेत्र एवं अनु विभागीय अधि. पुलिस व तह. मुख्या. के थाना	1	3	6	11	27	-	2	50	200	50000
3	ग्रामीण थाना	ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले शेष थाने	-	1	4	9	20	-	1	35	200	40000
4	ग्रामीण थाना	नक्सली प्रभावित क्षेत्र में आने वाले थाने	-	1	4	8	31	-	1	45	-	-

उपरोक्तानुसार थानों के लिये निर्धारित न्यूनतम बल का निर्धारण पत्रक संलग्न है। न्यूनतम बल के मापदण्ड का निर्धारण कॉलम 12 एवं 13 में दर्शित अपराध एवं जनसंख्या के लिए किया गया है।


02/02/2024
अनु. अधिकारी गृह पु.
बी 3 (म.प्र.)

थानों के लिये न्यूनतम मापदण्ड का निर्धारण पत्रक

पृ

62

क्र.सं.	लक्ष्य एवं कर्तव्य	शहरी थाना एवं जिला मुख्यालय						नगर पंचायत के थाने एवं अनु वि.अ.पु.मुख्या						ग्रामीण पुलिस थाना					
		कि.मि.	उम.	क.उ.	प्र.आ.	आ.र.	कि.मि.	उम.	क.उ.	प्र.आ.	आ.र.	कि.मि.	उम.	क.उ.	प्र.आ.	आ.र.	कि.मि.	उम.	क.उ.
1	सूचना एवं स्वागत कक्ष	-	3	-	3	3	9	-	1	2	3	-	6	-	-	1	2	-	3
2	थाना की सुरक्षा(संत्री)	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	3	3
3	बंदी की अभिरक्षा एवं एस्काट	-	-	1	1	4	6	-	-	-	1	3	4	-	-	-	1	2	3
4	गालखाना	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	2
5	थाना अभिलेख	-	-	1	1	2	3	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1
6	डाक डियूटी	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
7	न्यायालयीन डियूटी	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	1	1
8	चालक	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1
9	पर्यवेक्षण कार्य	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
कार्यालयीन डियूटी		1	4	3	7	17	32	1	1	4	5	13	24	0	1	2	4	9	18
10	बीट डियूटी	-	-	3	3	12	18	-	-	-	3	9	12	-	-	-	2	6	3
11	विवेचना टीम	-	3	3	3	9	18	-	2	2	2	4	10	-	-	2	2	4	8
योग		1	7	9	13	38	68	1	3	8	10	26	46	0	1	4	8	19	32
12	अवकाश एवं अन्य कार्य	-	1	1	1	4	7	-	-	-	1	3	4	-	-	-	1	2	3
कुल योग		1	8	10	14	42	75	1	3	8	11	29	50	-	1	4	9	21	35
13	आबादी संख्या पर बीट	50000 की आबादी तक 3 बीट						50000 की आबादी तक 3 बीट						40000 की आबादी तक 2 बीट					
14	भादवि अपराधों पर विवेचना टीमों की संख्या	300 भा.द.वि. के अपराधों की संख्या तक 3 टीम						200 भा.द.वि. के अपराधों की संख्या तक 3 टीम						200 भा.द.वि. के अपराधों की संख्या तक 2 टीम					

20.8.10
(अनिल कुमार)

अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन,
गृह विभाग

Handwritten signature
अनु. अधिकारी गृह पु.
बी 3 (म.प्र.)

उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम बल में आबादी एवं थाने की साम्प्रदायिक रूप से आति-संवेदनशीलता तथा थाना क्षेत्र में जिला कार्यालय एवं राज्य स्तरीय कार्यालय के स्थित होने के आधार पर निम्नानुसार अतिरिक्त बल स्वीकृत किया जायेगा -

क	बल वृद्धि का आधार	नगरीय थाना	नगर पंचायत का थाना	ग्रामीण थाना
1	न्यूनतम बल के लिये निर्धारित आबादी में प्रत्येक 15000 की संख्या बढ़ने पर एक बीट इकाई	सरनि-1 प्रआ-1 आर- 4 योग- 6	प्रआर-1 आर- 3 योग- 4	प्रआर-1 आर- 3 योग- 4
2	न्यूनतम बल के लिये निर्धारित अपराध में प्रत्येक 100 भा.द.वि. के अपराध बढ़ने पर एक विवेचना टीम	उनि.- 1 सउनि- 1 प्रआ- 1 आर- 3 योग- 6	उनि- 1 सउनि-1 प्रआ- 1 आर- 2 योग- 5	प्रआ-1 आर-3 योग-4
3	साम्प्रदायिक रूप से अति- संवेदनशील थानों में	कुल बल का 10 प्रतिशत अतिरिक्त बल दिया जाएगा।		
4	वैसे थाने जहां क्लिकेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय या जिला न्यायालय स्थित हैं	कुल बल का 10 प्रतिशत अतिरिक्त बल दिया जाएगा।		
5	जहाँ राज्य मंत्रालय एवं पुलिस मुख्यालय स्थित हो	कुल बल का 10 प्रतिशत अतिरिक्त बल दिया जाएगा।		

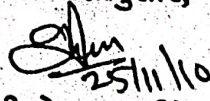
3. चौकी स्थापना के लिये भी निम्नानुसार मापदण्ड नियत किये जाते हैं, परन्तु चौकी में स्वीकृत बल का समावेश अपराध, आबादी एवं अन्य मापदण्ड के आधार पर थानों के लिये कुल बल के निर्धारण में शामिल रखा जायेगा:-

क	क्षेत्र	उनि	सउनि	प्रआ	आर.	योग
1	नगरीय क्षेत्र में चौकी के लिये	1	1	3	10	15
2	ग्रामीण क्षेत्र के लिये	-	1	2	8	11
3	नक्सल प्रभावित क्षेत्र की चौकी के लिये	1	3	6	25	35

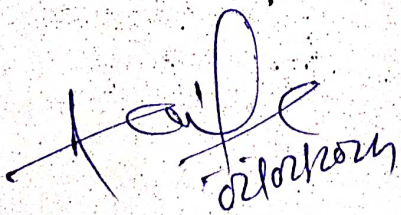
4. भविष्य में निर्मित होने वाले पुलिस थाने एवं पुलिस चौकियों की स्थापना तथा बल वृद्धि के समय नियत संख्या के अन्दर उपरोक्त मापदण्ड अनुसार प्रस्ताव स्वीकृत किये जावेंगे।

संलग्न- बल निर्धारण पत्रक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(व्ही.के.वाधवानी)

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग



अमु. अधिकारी गृह
बी 3 (म.प्र.)